"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2009—आश्विन 29, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-38/18/2008.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् उन्नीस सौ इकसठ) की धारा 5क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा क्रमांक एफ 1-38/18/2008 दिनांक 24-09-2008 के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन करते हुए नगर पंचायत सरगांव, जिला बिलासपुर, ग्राम पंचायत ककेड़ी के आश्रित ग्राम खपरी को सम्मिलित घोषित करता है.

Raipur, the 20th October 2009

AMENDED NOTIFICATION

No. F-1-38/18/2008.—In exercise of powers conferred by (a) of section 5 of C.G. Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Govt. hereby Amends the Notification No. F-1-38/18/2008 Dated 24-09-2008 and declares to include village Khapri of Gram Panchayat Kakedi in Nagar Panchayat Sargaon Distt. Bilaspur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**हेमंत पहारे**, अतिरिक्त सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.